भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 946
02.12.2024 को उत्तर के लिए

शहरी केन्द्रों में वायु प्रदूषण

946. डॉ. भोला सिंह :
श्री योगेन्द्र चांदोलिया :
श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी :
श्रीमती कमलजीत सहरावत :

क्या **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने शहरी केन्द्रों विशेषकर दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में वायु प्रदूषण का समाधान करने के लिए हाल ही में पहल की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वायु गुणवत्ता में सुधार लाने में इन उपायों की प्रभावकारिता क्या है;

(ख) क्या सरकार इलेक्ट्रिक वाहन अपनाए जाने को प्रोत्साहित करने और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए नई नीतियों पर विचार कर रही है;

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और समीपवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) आयोग द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की वर्तमान प्रगति क्या है और प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता स्तरों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(च) संपूर्ण देश में पर्यावरण संरक्षण को सुदढ़ बनाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए भावी लक्ष्यों और कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क), (ङ) और (च): राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा जनवरी 2019 में आरंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय, राज्य और शहरी स्तर की स्वच्छ वायु कार्य योजनाओं को लागू करके 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों

के 130 शहरों (अवमानक वायु गुणवत्ता वाले शहरों और 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों) में वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। एनसीएपी में वर्ष 2025-26 तक पीएम10 के स्तर में 40% तक की कमी या राष्ट्रीय मानकों (60 माइक्रोग्राम/क्यूबिक मीटर) को हासिल करने की परिकल्पना की गई है।

इसके अतिरिक्त, एनसीएपी में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), पीएम ई-बस सेवा, 'अमृत', स्मार्ट सिटी मिशन, 'सतत' और नगर वन योजना के संसाधनों के साथ-साथ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और नगर निगमों तथा शहरी विकास प्राधिकरणों जैसी एजेंसियों के संसाधनों के समन्वय के माध्यम से शहरी कार्य योजना (सीएपी) के कार्यान्वयन पर बल दिया गया है।

दिल्ली एनसीआर में 06 अवमानक वायु गुणवत्ता वाले शहरों (एनएसी) अर्थात् दिल्ली, अलवर, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और फरीदाबाद को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत लाया गया है, ताकि शहरी कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से वायु प्रदूषण में कमी लाने के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। अब तक, इन शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के उपायों को लागू करने के लिए 476.04 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इसके अलावा, 19 शहरों, जो एनसीआर का हिस्सा हैं, को भी शहरी कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण संरक्षण शुल्क (ईपीसी) के तहत 150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इन सभी शहरों ने शहरी कार्य योजनाएं तैयार कर ली हैं।

दिल्ली-एनसीआर में सीएक्यूएम सहित वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए उठाए गए उपाय **अनुलग्नक-I** में संलग्न हैं।

भारत अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के भाग के रूप में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध है :

(i) जलवायु के अनुकूल और आर्थिक विकास के तदनुरूपी स्तर पर अन्य देशों द्वारा अब तक अपनाए गए मार्ग से स्वच्छतर विकास मार्ग अपनाना।

(ii) वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर से 45 प्रतिशत तक कम करना।

(iii) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) सहित कम लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्त की सहायता से वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50 प्रतिशत संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करना।

(iv) वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन एवं वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO_2 समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना।

भारत ने वर्ष 2070 तक निवल-शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनी दीर्घकालिक निम्न कार्बन विकास कार्यनीति (एलटी-एलईडीएस) भी तैयार की है।

सीएक्यूएम द्वारा उठाए गए कदमों के अलावा, केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख कदम **अनुलग्नक II** में संलग्न हैं।

वर्ष 2023-24 के किए गए वार्षिक कार्य निष्पादन आकलन के अनुसार, 130 शहरों में से 97 शहरों की वायु गुणवत्ता में 2017-18 के आधार स्तरों की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में पीएम10 सांद्रता के संदर्भ में वायु गुणवत्ता सुधार दर्शाया गया है। 55 शहरों में वर्ष 2017-18 के स्तरों के संबंध में वर्ष 2023-24 में पीएम10 के स्तर में 20% और उससे अधिक की कमी हासिल की गई है। इसके अलावा, 18 शहर वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान विविक्त कणों की सांद्रताओं के संदर्भ में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हैं। दिल्ली में वर्ष 2017-18 के स्तरों की तुलना में वर्ष 2023-24 में पीएम10 सांद्रता में 14% की कमी देखी गई है। 130 शहरों की वायु गुणवत्ता में आए सुधार का विवरण **अनुलग्नक-III** में दर्शाया गया है।

(ख) : वाहनों से होने वाले उत्सर्जन की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने कड़े ईंधन मानक लागू किए हैं, जिसके तहत 1 अप्रैल, 2018 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तथा 1 अप्रैल, 2020 से देश के शेष हिस्सों में भी बीएस-IV से सीधे बीएस-VI ईंधन मानकों को लागू किया गया है।

सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में विद्युत वाहनों को बढ़ावा देने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने पीएम ई-बस सेवा शुरू की है, जिसके तहत 169 पात्र शहरों में बस डिपो के बुनियादी ढांचे और बिहाइंड-द-मीटर संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास या उन्नयन सहित 10,000 ई-बसों की तैनाती के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने देश में विद्युत वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 29 सितंबर, 2024 को 2 वर्ष के लिए 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय से पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना शुरू की है, जिसमें ई-2 व्हीलर्स, ई-3 व्हीलर्स, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रकों और अन्य नए विद्युत वाहनों के लिए सब्सिडी/मांग प्रोत्साहन, सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों द्वारा ई-बसों की खरीद और विद्युत वाहनों के लिए फास्ट चार्जर लगाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 को राजपत्र अधिसूचना का.आ. 4711(अ) के माध्यम से पीएम ई-बस सेवा-पीएसएम (भुगतान सुरक्षा तंत्र) योजना को अधिसूचित किया है और देश में 38,000 से अधिक विद्युत बसों को परिवहन व्यवस्था में लाने में सहयोग करने के लिए 3,435.33 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है ।

वित्त मंत्रालय ने विद्युत वाहनों में प्रयुक्त बैटरियों के लिए लिथियम-आयन सेल के विनिर्माण हेतु आवश्यक निर्दिष्ट पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी के आयात के लिए सीमा शुल्क में छूट प्रदान की है।

(ग) और (घ) : दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने और नियंत्रित करने के लिए, एनसीआर और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने जुलाई 2022 में एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक व्यापक नीति तैयार की है, जिसमें एनसीआर राज्यों में विभिन्न एजेंसियों द्वारा समयसीमाओं और कार्यान्वयन योजना के साथ-साथ लक्ष्य की मात्रा निर्धारित करते हुए क्षेत्र-विशिष्ट कार्यकलाप निर्धारित किए गए हैं। इस नीतिगत ढांचे में वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले विभिन्न क्षेत्रों के लिए क्षेत्रवार कार्यकलापों, निर्धारित लक्ष्यों और समयसीमाओं का विवरण दिया गया है।

वायु प्रदूषण के स्तर में अचानक होने वाली वृद्धि की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली-एनसीआर के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) को संशोधित किया गया और सीएक्यूएम द्वारा प्रकाशित किया गया। सीएक्यूएम द्वारा जीआरएपी के तहत विभिन्न वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) स्तरों के लिए सूचीबद्ध कार्य योजनाओं को समय-समय पर लागू किया जाता है।

पराली जलाने की घटनाओं और दिल्ली/एनसीआर की वायु गुणवत्ता पर इसके गंभीर प्रभाव को देखते हुए, केंद्र सरकार ने हाल ही में पराली जलाने के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की दर में संशोधन किया है। इस संबंध में, सा.का.नि. 690 (अ), दिनांक 6-11-2024 के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (पराली जलाने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का अधिरोपण, संग्रह और उपयोग) संशोधन नियम, 2024 को अधिसूचित किया गया है।

***

अनुलग्नक-I

दिल्ली-एनसीआर में सीएक्यूएम सहित वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए उठाए गए कदम

- माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों के लिए पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार लागू किया गया।
- दिल्ली गन्तव्य न होने वाले वाहनों का मार्ग परिवर्तित करने के लिए पूर्वी और पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे शुरू किए गए।
- माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय एनजीटी के आदेशों के अनुसार 15 वर्ष पुराने पेट्रोल और 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय एनजीटी के आदेशों के अनुपालन में दिल्ली-एनसीआर में 3256 पेट्रोल पम्प पर वीआरएस प्रणाली संस्थापित की गई है।
- दिल्ली-एनसीआर में लाल श्रेणी के वायु प्रदूषणकारी उद्योगों में ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) की संस्थापना की गई है।
- दिल्ली में औद्योगिक इकाइयों में पीएनजी/स्वच्छतर ईंधन का प्रयोग शुरू हो गया है और एनसीआर में प्रचालित इकाइयों में पीएनजी/बायोमास का प्रयोग हो रहा है।
- दिल्ली और एनसीआर में ईंट भट्टों को जिग-जैग प्रौद्योगिकी में परिवर्तित होने के लिए निदेश जारी किए गए हैं। हरियाणा में 1762 भट्टों, उत्तर प्रदेश में 1024 भट्टों और राजस्थान में 217 भट्टों सहित 4608 ईंट भट्टों में से कुल 3003 ईंट भट्टे जिग-जैग प्रौद्योगिकी में परिवर्तित हो गए हैं। जिग-जैग प्रौद्योगिकी में परिवर्तित न हुए ईंट भट्टों को प्रचालन की अनुमति नहीं दी जाती है।
- डीजी सेट से होने वाले उत्सर्जनों को नियंत्रित करने के क्रम में सीपीसीबी, दिल्ली-एनसीआर में सरकारी अस्पतालों में डीजी सेट के रेट्रोफिटमेंट/उन्नयन के लिए वित्त पोषण भी कर रहा है और इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
- दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 से एनसीआर राज्यों में ईंधन के रूप में पेट कोक और फर्नेस ऑयल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- दिल्ली-एनसीआर में दिनांक 01.01.2023 से एक अनुमोदित ईंधन सूची लागू है। तकनीकी, प्रौद्योगिकीय और प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताओं के कारण विशिष्ट उद्योगों द्वारा अन्य ईंधन की विशेष आवश्यकता को छोड़कर, एनसीआर में केवल पीएनजी या बायोमास पर प्रचालन करने वाले उद्योगों को अनुमति दी जाती है। एनसीआर में 7759 ईंधन आधारित उद्योगों में से 7449 को अनुमोदित ईंधन में परिवर्तित कर दिया गया है और शेष 310 उद्योग बंद किए गए हैं।

- एनसीआर में बायोमास आधारित बॉयलरों के संबंध में अनुपालन के लिए कड़े पीएम उत्सर्जन संबंधी मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओए एंड एफडब्ल्यू) ने वर्ष 2018 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की खरीद और कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसीएस) की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान करने की योजना शुरू की। उक्त योजना के तहत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की खरीद और कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2018-2024 के दौरान, उक्त योजना के तहत दिल्ली और अन्य राज्यों को जारी की गई कुल धनराशि 3398.56 करोड़ रुपये है, जिसका उपयोग करके 2.7 लाख से अधिक फसल अवशेष मशीनरी व्यक्तिगत किसानों और सीएचसी को वितरित की गई हैं और 39,000 से अधिक सीएचसी स्थापित किए गए हैं।

- सीपीसीबी ने आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए धान की पराली पर आधारित पैलेटाइजेशन और टोरिफैक्शन संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। सीपीसीबी ने 57.5 टीपीएच क्षमता वाले 15 संयंत्रों को मंजूरी दी है।

- डीपीसीसी और एनसीआर एसपीसीबी को सीएंडडी स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन की संस्थापना और अन्य धूल नियंत्रण उपाय करने के निदेश जारी किए गए।

- एनसीआर में धूल नियंत्रण उपायों की निगरानी और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सड़क स्वामित्व/रखरखाव/निर्माण अभिकरणों द्वारा "धूल नियंत्रण और प्रबंधन प्रकोष्ठ" की स्थापना के लिए निदेश जारी किए गए।

- निर्माण स्थलों के लिए धूल उपशमन उपायों के अनुपालन की निगरानी के लिए ऑनलाइन निगरानी कार्यतंत्र (वेब पोर्टल के माध्यम से) शुरू किया गया।

- दिल्ली-एनसीआर में खराब होती वायु गुणवत्ता की स्थिति के मद्देनजर समय-समय पर लागू किए गए जीआरएपी के चरणों के तहत निर्धारित कार्यकलाप के सख्त कार्यान्वयन के लिए सीपीसीबी द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत एसपीसीबी/पीसीसी को निदेश जारी किए गए हैं। सीपीसीबी ने दिनांक 18.10.2024 को वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18 (1)(ख) के तहत एनसीआर के एसपीसीबी और डीपीसीसी को उनके और अन्य एजेंसियों से संबंधित जीआरएपी के तहत निर्धारित कार्यकलापों को कार्यान्वित करने और सीपीसीबी को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निदेश जारी किए हैं।

- दिनांक 22.02.2024 के परिशिष्ट के साथ पठित, सीएक्यूएम के दिनांक 29.09.2023 के निर्देश संख्या 76 के अनुसार, केवल विनिर्दिष्ट उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों/प्रणालियों के साथ, दिल्ली-एनसीआर में डीजी सेटों के विनियमित उपयोग की निगरानी और प्रवर्तन। सीपीसीबी और

एनसीआर राज्यों के पीसीबी/डीपीसीसी द्वारा निरीक्षणों और निगरानी के माध्यम से उत्सर्जन संबंधी मानदंडों के अनुपालन की निगरानी और प्रवर्तन सहित दिल्ली-एनसीआर के सभी क्षेत्रों में केवल अनुमोदित ईंधनों के उपयोग पर निरंतर नजर रखना।

- दिल्ली-एनसीआर में दिनांक 01.01.2023 से स्वीकृत ईंधन सूची लागू है। तकनीकी, प्रौद्योगिकीय और प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताओं के कारण विशिष्ट उद्योगों द्वारा अन्य ईंधन की विशिष्ट आवश्यकता को छोड़कर, केवल पीएनजी या बायोमास पर चलने वाले उद्योगों को एनसीआर में अनुमति दी गई है।

- दिल्ली-एनसीआर में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं, विशेषकर अंतर-शहरी बस सेवाओं को स्वच्छतर परिवहन साधनों में परिवर्तित करने के लिए सीएक्यूएम के दिनांक 19.10.2023 के निदेश संख्या 78 का कार्यान्वयन।

- फरीदाबाद, गुरुग्राम एवं गाजियाबाद जिलों और जी.बी. नगर से दिनांक 31.12.2024 तक डीजल से चलने वाले ऑटो-रिक्शा को चरणबद्ध रीति से हटाना तथा ऐसे क्षेत्रों में केवल सी.एन.जी./ई-ऑटो का परिचालन सुनिश्चित करना।

- सभी अभिकरणों को जारी सीएक्यूएम के दिनांक 13.02.2024 के निदेश संख्या 79 में उल्लेख किया गया था कि सीएंडडी परियोजनाओं के लिए पूर्णता प्रमाण-पत्र/अधिभोग प्रमाण-पत्र, यह सुनिश्चित करने के बाद ही जारी किया जाए कि स्थल को बंद करने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किया गया है या लागू नहीं है ताकि धूल नियंत्रण/उपशमन संबंधी उपायों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

- सीएक्यूएम की दिनांक 14.02.2024 की परामर्शिका संख्या 12 सभी नगरीय निकायों/यूएलबी और एनसीआर राज्य/एनसीटी दिल्ली की सरकारों के सभी संबंधित विभागों/निकायों को यह सुनिश्चित करने के संबंध में जारी की गई थी कि धूल उत्सर्जनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील सीएंडडी परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाली धूल के प्रभावी उपशमन संबंधी सभी विनिर्दिष्ट उपायों को सड़क निर्माण और रखरखाव संबंधी परियोजनाओं सहित सभी संविदा दस्तावेजों, करारों, आदि में समाविष्ट किया गया है।

- 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखंडों पर निर्माण/विध्वंस परियोजनाओं के लिए एनसीआर राज्य के संबंधित वेब-पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण कराने से संबंधित निर्देशों के सख्ती से क्रियान्वयन के साथ-साथ स्थल/क्षेत्र के अनुपात में एंटी-स्मॉग गन की संस्थापना। इस संबंध में अनुपालन न करने पर बंद करने संबंधी निर्देश सहित दंडात्मक उपाय करना।

- सीएक्यूएम ने प्रदूषण नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन और वायु (प्रदूषण के नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 के अन्य उपबंधों के अनुपालन की स्थिति की जाँच करने के लिए दिल्ली-एनसीआर में वायु-प्रदूषणकारी उद्योगों, सीएंडडी स्थलों, एवं डीजी सेटों का गुप्त रूप से निरीक्षण करने के लिए दिसंबर 2021 से सीपीसीबी के अधिकारियों के 40 दलों को तैनात किया है। कुल

17824 इकाइयों/संस्थाओं/परियोजनाओं का निरीक्षण किया गया है। इन निरीक्षणों के आधार पर, सीएक्यूएम ने 977 मामलों में बंद करने संबंधी निर्देश जारी किए हैं और इनमें से 769 मामलों में पुनरारंभ संबंधी आदेश जारी किए गए हैं जबकि 116 मामलों में अभी भी बंद करने संबंधी निर्देश लागू हैं तथा शेष 92 इकाइयों के मामलों को अंतिम निर्णय हेतु एसपीसीबी/डीपीसीसी को अंतरित कर दिया गया है।

- अक्टूबर 2023 से, उड़न दस्ते सीएक्यूएम के निदेश सं. 76 के अनुपालन में वाणिज्यिक/औद्योगिक/ आवासीय क्षेत्रों में डीजी सेटों का निरीक्षण कर रहे हैं। दिनांक 07.06.2024 तक की स्थिति के अनुसार, कुल 602 डीजी सेटों के मामलों में 390 संस्थाओं को डीजी-सेट को सील करने संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं।

- विभिन्न स्रोतों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निदेश जारी किए गए हैं, जैसे कि डीजी सेटों में आरईसीडी प्रणाली/दोहरे ईंधन किट का कार्यान्वयन, उद्योगों में स्वच्छ ईंधन का उपयोग, परिवहन क्षेत्र में विद्युत वाहन/सीएनजी/बीएस VI डीजल ईंधन का उपयोग, निर्माण एवं विध्वंस स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों का कार्यान्वयन, आदि।

- सीएक्यूएम द्वारा एनसीटी दिल्ली सरकार और हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में परिवर्तन लाने, विशेष रूप से एनसीआर में बसों को स्वच्छतर परिवहन साधनों में बदलने के निदेश जारी किए गए हैं। दिनांक 01.11.2023 से दिल्ली और हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के किसी भी शहर/कस्बे के बीच सभी राज्य सरकार की बस सेवाएं केवल विद्युत वाहन/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के माध्यम से संचालित की जाएंगी।

- वर्ष 2024 के पराली जलाने के मौसम के दौरान, पंजाब और हरियाणा में धान की पराली जलाने की घटनाओं की रोकथाम के लिए निगरानी और प्रवर्तन कार्रवाई तेज करने के लिए उद्देश्य से एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में सीएक्यूएम की सहायता के लिए सीपीसीबी की 26 टीमों को उड़न दस्तों के रूप में तैनात किया गया है।

- सीएक्यूएम ने दिल्ली के 300 किलोमीटर के भीतर स्थित ताप विद्युत संयंत्रों और एनसीआर में स्थित औद्योगिक इकाइयों के कैप्टिव पावर प्लांटों में कोयले के साथ 5-10% बायोमास के सह-दहन के निदेश जारी किए हैं।

- सीएक्यूएम द्वारा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को पराली जलाने की पद्धति को समाप्त और नियंत्रित करने के लिए संशोधित कार्य योजना को कड़ाई और प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के निदेश जारी किए गए हैं।

***

अनुलग्नक-II

वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

i. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के तहत 80 से अधिक उद्योगों के लिए उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

ii. निम्नलिखित के लिए हाल ही में उत्सर्जन मानक अधिसूचित/संशोधित किए गए :

   क. ताप विद्युत संयंत्र

   ख. डीजल/पेट्रोल/सीएनजी जनरेटर सेट

   ग. औद्योगिक बॉयलर

   घ. चूना भट्टियां

   ङ. ईंट भट्टे और उनका ज़िग-ज़ैग प्रौद्योगिकी में परिवर्तन

   च. कैल्सीनेटेड पेटकोक उद्योग

   छ. हॉट मिक्स संयंत्र

iii. 1 अप्रैल, 2020 से भारत स्टेज-VI (बीएस-VI) उत्सर्जन मानदंड लागू करना।

iv. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वाहन स्क्रैपिंग नीति, पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केन्द्रों और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के लिए नियम बनाना।

v. ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, खतरनाक अपशिष्ट, ई-कचरा, बैटरी अपशिष्ट, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के लिए अपशिष्ट प्रबंधन नियम और ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा राख का 100% उपयोग ।

vi. अपशिष्ट की श्रेणियों जैसे प्लास्टिक पैकेजिंग, ई-कचरा, बैटरी अपशिष्ट, बेकार टायर और प्रयुक्त तेल के लिए बाजार आधारित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) विनियम शुरू किए गए।

vii. कचरा फैलाने की उच्च क्षमता और कम उपयोगिता वाले 12 अभिज्ञात सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं (एसयूपी) पर 1 जुलाई, 2022 से प्रतिबंध लगा दिया गया।

viii. एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले (पेलेट्स/ ब्रिकेट्स) के साथ-साथ न्यूनतम 5% फसल अवशेषों के उपयोग का अधिवेश दिया गया।

ix. व्यापक पर्यावरणीय प्रदूषण सूचकांक (सीईपीआई) के आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों का सवेंदनशील और गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों (सीपीएएस/एसपीएएस) के रूप में सूचीकरण।

*****

अनुलग्नक-III

वित्तीय वर्ष 2017-18 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 130 शहरों की पीएम10 की सांद्रता में हुआ सुधार				
क्र.सं.	**शहर**	**वर्ष 2017-18 में पीएम 10 सांद्रता (ug/m^3) (वार्षिक औसत)**	**वर्ष 2023-24 में पीएम 10 सांद्रता (ug/m^3) (वार्षिक औसत)**	**वित्तीय वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2023-24 में पीएम 10 सांद्रता में आई प्रतिशत कमी (%)**
1.	वाराणसी*	230	73	68
2.	बरेली	207	80	61
3.	फिरोजाबाद	247	102	59
4.	देहरादून	250	109	56
5.	धनबाद*	315	138	56
6.	तुतुकुड़ी	123	57	54
7.	नालागढ़	146	68	53
8.	मुरादाबाद	222	115	48
9.	खुर्जा	195	104	47
10.	त्रिची*	88	47	47
11.	कोहिमा	127	68	46
12.	लखनऊ*	253	137	46
13.	कानपुर*	227	125	45
14.	कडपा	75	42	44
15.	शिवसागर	73	41	44
16.	सुंदरनगर	78	44	44
17.	आगरा*	202	116	43
18.	मुंबई*	161	94	42
19.	ऋषिकेश	129	76	41
20.	परवाणू	66	39	41
21.	बर्नीहाट	175	104	41
22.	अहमदाबाद*	164	98	40
23.	गाजियाबाद*	285	172	40
24.	राजकोट*	150	92	39
25.	जालंधर	178	111	38
26.	रायबरेली	145	91	37
27.	अमृतसर*	189	119	37
28.	बद्दी	174	111	36
29.	कोलकाता*	147	94	36
30.	जम्मू	157	101	36

31.	सिलचर	49	32	35
32.	जोधपुर*	189	124	34
33.	विजयवाड़ा*	91	61	33
34.	नया नंगल	87	59	32
35.	दीमापुर	142	97	32
36.	खन्ना	142	100	30
37.	दुर्गापुर	150	106	29
38.	कुरनूल	79	56	29
39.	पठानकोट/डेरा बाबा	79	56	29
40.	वडोदरा*	133	95	29
41.	इलाहाबाद*	169	124	27
42.	आसनसोल*	147	108	27
43.	श्रीनगर	132**	96	27
44.	हैदराबाद*	110	81	26
45.	गोरखपुर	150	111	26
46.	अनंतपुर	78	59	24
47.	रांची*	141	107	24
48.	बैंगलोर*	92	70	24
49.	अकोला	111	85	23
50.	भिलाई*	86	68	21
51.	सूरत*	130	103	21
52.	नोएडा	229	182	21
53.	हावड़ा	139	111	20
54.	थाइन	138	111	20
55.	लातूर	82	66	20
56.	नेल्लोर	64	52	19
57.	गजरौला	204	167	18
58.	फ़रीदाबाद*	229**	190	17
59.	अलवर	152	127	16
60.	चित्तूर	70	59	16
61.	काला अम्ब	118	100	15
62.	गोबिंदगढ़	148	126	15
63.	अमरावती	102	87	15
64.	पटियाला	106	91	14
65.	जयपुर*	172	148	14
66.	ओंगोल	65	56	14
67.	दिल्ली	241	208	14
68.	चंद्रपुर	118	102	14

69.	नासिक*	82	72	12
70.	झांसी	109	96	12
71.	सांगली	87	77	11
72.	देवनगेरे	74	66	11
73.	कोटा*	139	124	11
74.	राजमुंदरी	85	76	11
75.	हुबली, धारवाड़	79	71	10
76.	जबलपुर*	101	91	10
77.	उज्जैन	93	84	10
78.	गुंटूर	66	61	8
79.	कलिंग नगर	109	101	7
80.	मेरठ*	159	149	6
81.	नागपुर*	100	94	6
82.	एलुरु	72	68	6
83.	मदुरै*	72	68	6
84.	डमटाल	55	52	5
85.	हल्दिया	92	87	5
86.	अनपरा	175	166	5
87.	बदलापुर	160	152	5
88.	उदयपुर	127	121	5
89.	संगारेड्डी	85	81	5
90.	चेन्नई*	66	63	5
91.	लुधियाना*	168	161	4
92.	पुणे*	102	98	4
93.	जमशेदपुर*	135	130	4
94.	कोल्हापुर	89	86	3
95.	उल्हासनगर	153	149	3
96.	श्रीकाकुलम	69	68	1
97.	काशीपुर	99	98	1
98.	तालचेर	113	113	0
99.	नलगोंडा	59	59	0
100.	भोपाल*	112	113	-1
101.	सागर	73	74	-1
102.	विजयनगरम	72	73	-1
103.	चंडीगढ़	114	116	-2
104.	गुलबुर्गा	55	56	-2
105.	जालना	99	102	-3
106.	पटना*	172	178	-3

107.	कोरबा	57	59	-4
108.	पोंटा साहिब	84	90	-7
109.	ग्वालियर*	126	136	-8
110.	रायपुर*	70	76	-9
111.	नवी मुंबई	88	98	-11
112.	राउरकेला	99	111	-12
113.	मुजफ्फरपुर	147	168	-14
114.	बैरकपुर	86	99	-15
115.	गुवाहाटी	103	119	-16
116.	डेरा बस्सी	88	102	-16
117.	सोलापुर	81	96	-19
118.	देवास	83	99	-19
119.	इंदौर*	82	99	-21
120.	वसई-विरार*	99	125	-26
121.	नागांव	82	107	-30
122.	औरंगाबाद*	75	98	-31
123.	गया	79	104	-32
124.	भुवनेश्वर	85	114	-34
125.	जलगांव	70	97	-39
126.	कटक	93	129	-39
127.	नलबाड़ी	87	127	-46
128.	बालासोर	84	124	-48
129.	विशाखापत्तनम*	76	120	-58
130.	अंगुल	97	167	-72

*शहरों को XVवे वित्त आयोग वायु गुणवत्ता अनुदान (मिलियन प्लस सिटी चैलेंज फंड) के तहत वित्त पोषित किया जाता है।

**फ़रीदाबाद और श्रीनगर के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में पीएम 10 के स्तर उपलब्ध नहीं हैं। फ़रीदाबाद के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के पीएम 10 स्तर और श्रीनगर के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के पीएम 10 स्तरों को आधार रेखा के रूप में माना गया है।

टिप्पणी : मानकों को प्राप्त करने वाले पटनचेरु शहर को हैदराबाद शहरी समूह के साथ मिला दिया गया है और तदनुसार एनसीएपी के तहत शामिल किए गए शहरों की संशोधित संख्या 130 है।

***